बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांक–13/अ0प्र0–08–42/15 पटना, दिनांक–

प्रेषक,

संजय दूबे, भा0प्र0से0
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना।
सभी अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार।
सभी कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार।

विषयः– **वर्ष 2008–09 से अद्यतन निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनुपालन के संबंध में।**

प्रसंगः– विभागीय पत्रांक–127 अनु0 दिनांक–11.01.2021 एवं 1825 दि0–19.03.21

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र की ओर ध्यान आकृष्ट कराते हुए कहना है कि उप महालेखाकार, ए0एम0जी0–1, भारतीय लेखा तथा लेखा परीक्षा विभाग, कार्यालय प्रधान महालेखाकार, (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना के पत्र सं0–155 दिनांक–23.12.2020 द्वारा ग्रामीण कार्य विभाग से संबंधित वर्ष 2008–09 से अद्यतन निरीक्षण प्रतिवेदनों की सूची संलग्न करते हुए लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों में उठाये गये आपत्तियों का कंडिकावार अनुपालन प्रतिवेदन अपने नियंत्री पदाधिकारी से मन्तव्य एवं उत्तर के समर्थन में संलग्न साक्ष्यों के साथ अभिप्रमाणित कर एक सप्ताह के अन्दर महालेखाकार कार्यालय, बिहार, पटना को उपलब्ध कराते हुए उसकी एक प्रति विभाग को भी उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया था, जो अभी तक अप्राप्त है। विदित हो कि संदर्भित मामले में पूर्व में भी कई स्मार पत्रों के माध्यम से इस संबंध में लगातार आपको निदेशित किये जाने के बावजूद भी यथोचित कार्रवाई नहीं किया जाना खेदजनक है।

अतएव पुनः निदेश है कि निरीक्षण प्रतिवेदन में दर्ज आपत्तियों का अनुपालन प्रतिवेदन मन्तव्य एवं साक्ष्य सहित अपने उच्च स्तरीय पदाधिकारी के माध्यम से पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर महालेखाकार (लेखा परीक्षा) बिहार, पटना को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय तथा प्रेषित अनुपालन प्रतिवेदन की एक प्रति के साथ सूचना विभाग को भी उपलब्ध कराया जाय, ताकि निरीक्षण प्रतिवेदन में दर्ज आपत्तियों/प्रारूप कंडिकाओं में प्रस्तावित तथ्य सी0ए0जी0 के प्रतिवेदन में शामिल न हो सके।

कृपया इसे शीर्ष प्राथमिकता दी जाय।

विश्वासभाजन
21/9/2021
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक–13/अ0प्र0–08–42/15 4764 पटना, दिनांक– 23/9/2021
प्रतिलिपिः– आई0टी0 मैनेजर, ग्रा0का0वि0, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/9/2021
सरकार के विशेष सचिव